सं. पीएआरएल-11013/1/2020-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 मार्च, 2020

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषयः संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग एवं प्रसारण के संबंध में।

संविधान के अनुच्छेद 105(1) में कहा गया है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी, जो संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अध्यधीन होगी। इसके अलावा, कार्यविधि के नियमों के अनुसार, सदन अपनी कार्यवाही को विनियमित करने का स्वामी है और इसने सदस्यों द्वारा नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।

2 इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंडित एमएसएम शर्मा बनाम श्री श्रीकृष्ण सिन्हा और अन्य एआईआर 1959 एससी 395 में कहा कि:

"किसी सदस्य के भाषण के एक हिस्से को हटाने के अध्यक्ष के आदेश का कानून में प्रभाव ऐसा हो सकता है मानो वह हिस्सा बोला ही नहीं गया हो। ऐसी परिस्थितियों में पूरे भाषण की एक रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही होने के बावजूद, कानून में, अर्थात जिसमें किसी भाषण की विकृत और बेवफा रिपोर्ट के रूप में माना जा सकता है, अर्थात, सदन में पारित अध्यक्ष के आदेशों के अपमान में निकाले गए हिस्से को शामिल करना, प्रथम दृष्टया, अपमानजनक समाचार-मद के प्रकाशन से उपजा "सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।

3. तदनुसार, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे संसद की कार्यवाही के प्रसारण और रिपोर्टिंग के संबंध में सतर्क रहें और कार्यवाही के हटाए गए हिस्सों के पुनः प्रसारण से बचें।

[अमित कटोच]

निदेशक (बीसी)
दूरभाष: 2338 6394

प्रतिलिपि:

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनटेक हाउस, तीसरी मंजिल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307
2. श्री एनपी सिंह, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग , नई दिल्ली-110049
3. श्री राकेश शर्मा, एसोसिएशन ऑफ रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया (एआरटीबीआई), बी-116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110065